

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2018


जयपुर, दिनांक 27.02.2018

आदेश

विभाग की अनुपूरक मांगों पर दिनांक 28.02.2018 को विधानसभा में चर्चा होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि विभाग के अधीन समस्त कार्यालय दिनांक 28.02.2018 को रात्रि को विधानसभा की कार्यवाही जारी रहने तक खुले रहेंगे। इस दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। समस्त अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान फ़ैक्स मशीन चालू रखी जावे एवं टेलीफोन/सेलफोन अनावश्यक व्यस्त नहीं रखे जावे। अपने कार्यालय की ई-मेल आई. डी. नियमित रूप से देखते रहे।


उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अति० प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव/शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1/3/5/समन्वयक) विभाग, राज० जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एन. एच. एम. एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससीएल) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
6. परियोजना निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच/एड्स/आईईसी/ईएसआई/एमएसयू) निदेशालय।
8. वित्तीय सलाहकार निदेशालय।
9. अति० निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन/चिकित्सा प्रशासन/आरसीएच/ग्रामीणस्वास्थ्य) निदेशालय।
10. संयुक्त निदेशक (योजना/अंधता) निदेशालय।
11. नोडल अधिकारी (सीएमआईएस/एमएनजेवाई/एमएनडीवाई/एनसीडी/एटीसी/फ्लोरोसिस/मेन्टल हैल्थ/आईडीएसपी/आईसीडीएस) निदेशालय।
12. औषधि नियंत्रक निदेशालय।
13. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें समस्त जोन राजस्थान।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज० जयपुर।
15. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को सम्बन्धित की मेल आईडी पर उपलोड करने का श्रम करें।


उप शासन सचिव